न्यायालय उपखंड अधिकारी अराई(अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती निशा सहारण

मुकदमा नम्बर 91/2022 पप्पू वगैरह बनाम गफूर वगैरह

1 पप्पू पुत्र छीतर खाँ जाति पिनारा उम्र 50 वर्ष निवासी आकोड़िया तहसील अंराई जिला अजमेर (राज.)

2. शाहबुद्दीन पुत्र छीतर खा जाति पिनारा उम्र 38 वर्ष निवासी आकोड़िया तहसील अंराई जिला अजमेर (राज.)

प्रार्थीगण

बनाम

1 गफूर पुत्र छीतर खां

2. ताजदीन पुत्र छीतर खां

3. लाड़ा पुत्री छीतर खां

4. सरीफन पुत्री छीतर खा

5. हाजरा पत्नी छीतर खा

सर्व जाति पिनारा निवासी गण ग्राम आकोड़िया तहसील अंराई जिला अजमेर (राज.)

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब अंराई जिला अजमेर (राज.)

7. श्रीमान उपपंजीयक महोदय अंराई जिला अजमेर (राज.)

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का.अधि. 1955

निर्णय दिनांक 23/5/2025

उपस्थितः– वकील उभयपक्ष दौराने बहस

1. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. का. अधि. 1955 के तहत वकील प्रार्थी श्री भागीरथ लाल जाट के द्वारा पेश किया गया जिसे दिनांक 7.9..2022 को जांच रिपोर्ट के बाद दर्ज रजिस्टर क्रमांक 91/2022 पर दर्ज किया गया। वकील प्रार्थी श्री भागीरथ लाल जाट ने निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य है जिनकी पैतृक आराजी ग्राम आकोडिया तहसील अराई के खसरा नम्बर 1863/102 रकबा 2.6131है0 , 1867/108 रकबा 1.1083 है0 ,1905/176 रकबा 0.8899 है0 कुल खसरे 3 कुल क्षेत्रफल 4.6113 है0 में वर्णित भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण 1 लगायत 5 की पैतृक आराजी है । अतः श्रीमान से निवेदन है कि वाद वर्णित आराजी का बेचान, हस्तान्तरण, भारयुक्त नहीं करने बाबत् एवं प्रार्थीगण के कृषकीय कार्य में किसी प्रकार की मदाखलत उत्पन्न नहीं करने अर्थात मौका व रिकार्ड की यथास्थिती बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण व इनके नौकर, चाकर, एजेन्ट आदि को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने की कृपा करावें।

2. प्रार्थना पत्र को दिनांक 7.9.2022 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण की जरिये सम्मन नोटिस तामिली करवाई गई । अप्रार्थीगण को जवाब हेतु कई अवसर दिए गए किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा जवाब पेश नही किये गये। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र तथा जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया गया।

3. हमारे द्वारा वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वकील अप्रार्थी द्वारा प्रकरण में दिनांक 16.09.2022 को सहमति दी जा चुकी है अतः वकील प्रार्थी की सहमति के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा उभयपक्षो को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी **ग्राम** आकोडिया तहसील अराई के खसरा नम्बर 1863/102 रकबा 2.6131है0 , 1867/108 रकबा 1.1083 है0 ,1905/176 रकबा 0.8899 है0 कुल खसरे 3 कुल क्षेत्रफल 4.6113 है0 का ताफैसला मुल वाद किसी प्रकार वर्णित आराजी का बेचान, हस्तानान्तरण, शक्ल परिवर्तन, रहन नही करेगे ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। जाप्ता दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)